न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 117 सन 2018
पंजीयन दिनांक 21.06.2018

1. पृथ्वीराज पिता भुरा जाति जाट मृतक के बजाय–
1/1 धापु पत्नि पृथ्वीराज जाति जाट निवासी मेवासा हाल मुकाम काला का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
1/2 रतनलाल पिता पृथ्वीराज जाति जाट निवासी मेवासा हाल मुकाम काला का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
1/3 नन्दु पुत्री पृथ्वीराज पत्नि नोला जाति जाट निवासी मेवासा हाल मुकाम काला का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
1/4 भगवानी पुत्री पृथ्वीराज पत्नि नोला जाति जाट निवासी मेवासा हाल मुकाम काला का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
1/5 मोहिनी पुत्री पृथ्वीराज पत्नि बद्रीलाल जाति जाट निवासी मेवासा हाल मुकाम काला का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
1/6 कंचन पुत्री पृथ्वीराज पत्नि नन्दलाल जाति जाट निवासी मेवासा हाल मुकाम काला का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
1/7 अणछी पुत्री पृथ्वीराज पत्नि कैलाश जाति जाट निवासी मेवासा हाल मुकाम काला का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. सुखदेव पिता भुरा जाति जाट मृतक के बजाय
2/1 रतन पिता पृथ्वीराज जाति जाट निवासी मेवासा हाल मुकाम काला का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

बनाम

1.मांगीलाल पिता नारू जाति अहीर निवासी मेवासा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. देवीलाल पिता नारू जाति अहीर निवासी मेवासा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. नानुराम पिता नारू जाति अहीर निवासी मेवासा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. भगवानलाल पिता नारू जाति अहीर निवासी मेवासा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
5. सोहनी पुत्री नारू पत्नि नारू जाति अहीर निवासी तख्तपुरा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
6. रतनी पुत्री नारू पत्नि बरदा जाति अहीर निवासी महाराज का मण्डपिया तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
7. रामी पुत्री नारू पत्नि नन्दराम जाति अहीर निवासी मुरोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़
8. कमला पुत्री नारू पत्नि बाबुलाल जाति अहीर निवासी मण्डपिया की झोपडियां तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
9. एसबीआई. बैक शाखा गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

10. भूमि विकास बैंक शाखा चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
11. राज्य जरिये तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय व डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार
प्रकरण संख्या 45 / 2013(191 / 2015)2 / 2017
निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2018

उपस्थित– 1. देवेन्द्र प्रसाद शर्मा –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. दिनेश चन्द दायमा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट–1 से 8
3. रेस्पोडेन्ट सं. 9 व 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेट–11

निर्णय **दिनांक 13.01.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षैप में इस प्रकार है कि अपीलान्टगण वादीगण ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 92(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि मोजा मेवासा जागीर तहसील गंगरार संवत् 2008 मे अपीलान्टगण के पिता भुरा पिता रामचन्द जाट निवासी काला का खेडा तहसील गंगरार के साबिक आराजी नम्बर 11,12,13,14,15,19,20 कुल किता 7 कुल रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता भुरा के खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड थी। अपीलान्टगण वादीगण के पिता भुरा के देहान्त होने के बाद वादीगण अपीलान्टगण का निरन्तर आधिपत्य चला आ रहा है। जिस पर अपीलान्टगण पत्थरो की कोट, डोल तथा थोहर लगा रखे है। अपीलान्टगण के पिता भुरा का देहान्त संवत् 2010 मे हो गया था जिसके वैध वारिसान पृथ्वीराज, सुखदेव अपीलान्टगण वादीगण है। इसी अनुसार मोजा मेवासा जागीर तहसील गंगरार भू–प्रबन्ध विभाग राजस्थान सरकार संवत् 2008 मे रेस्पोडेन्टगण के पिता नारू पिता भुरा अहीर निवासी जोजरो का खेडा के साबिक भू–प्रबन्ध मे आराजी नम्बर 90,91,92,117 कुल किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज रेकर्ड रही जो नारू पिता भुरा अहीर के देहान्त हो जाने से नारू पिता भुरा अहीर के वारिस रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 के नाम पर दर्ज हुई। वादपत्र मे यह भी निवेदन किया कि अपीलान्टगण के पिता भुरा पिता रामचन्द के साबिक खाते मे 25 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि व रेस्पोडेन्टगण के पिता नारू पिता भुरा अहीर के साबिक खाते मे 14 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज थी किन्तु संवत् 2014 से 2017 की जमाबन्दी मे अपीलान्टगण के पिता भुरा के नाम पर दर्ज साबिक आराजी किता 7 रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि राजस्व अधिकारियो की भूल से रेस्पोडेन्टगण के पिता नारू पिता भुरा अहीर निवासी जोजरो का खेडा की खाते मे दर्ज कर दी गई। जिससे उनके खाते मे कुल 39 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज हो गई। जबकि अपीलान्टगण वादीगण के पिता ने न तो उक्त आराजीयात का विक्रय

नारू पिता भुरा अहीर को किया था न ही उसे कब्जा सुपुर्द किया था। उक्त आराजीयात पर अपीलन्टगण के पिता व उनके देहान्त के बाद अपीलान्टगण का ही लगातार अधिकार व आधिपत्य चला आ रहा है। साबिक आराजीयात के नवीन भू–प्रबन्ध मे भुरा पिता रामचन्द जाट के नाम दर्ज आराजीयात का नवीन भू–प्रबन्ध मे नवीन आराजी नम्बर 21 रकबा 2.09 है0 आराजी नम्बर 35 रकबा 0.30 आराजी नम्बर 36 रकबा 0.62 है0 आराजी नम्बर 37 रकबा 0.81 है0 आराजी नम्बर 38 रकबा 0.60 है0 आराजी नम्बर 39 रकबा 0.63 है0 आराजी नम्बर 40 रकबा 0.12 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.17 है0 कायम किये गये। वादपत्र मे यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण का कुछ भी लेना देना नही है न ही उक्त आराजीयात पर उनका कब्जा है। नवीन आराजीयात पर अपीलान्टगण वादीगण का उनके पूर्वजो के समय से कब्जा व अधिकार चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त नवीन आराजीयात राजस्व अभिलेख मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के नाम अंकित होने से रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के हक व अधिकारो पर विपरीत असर पड रहा है। जिससे घोषणात्मक डिक्री बहक अपीलान्टगण वादीगण विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण पारित कराई जाकर उक्त वर्णित नवीन आराजीयात को रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के खाते से हटाया जाकर अपीलान्टगण वादीगण के खाते मे दर्ज कराया जाना न्यायोचित है। व नवीन आराजीयात का अपीलान्टगण को खातेदार घोषित कराया जावे। वादपत्र मे यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण का उक्त वर्णित नवीन बन्दोबस्त की आराजीयात पर कभी भी कोई कब्जा नही रहा किन्तु उक्त वादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के नाम पर राजस्व अभिलेख मे दर्ज होने से उनकी नियत मे खोट आ गई है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द–बुर्द अन्तरित करने पर आमादा है तथा अपीलान्टगण वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करना चाह रहे है जिससे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 45/2013 दिनांक 09.04.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये जिस पर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से दिनांक 26.07.2013 को जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया। वाद पत्र मे वर्णित सभी तथ्यो को अस्वीकार करते हुए विशेष कथन की कलम सं. (अ) मे यह तथ्य अंकित किये कि मोजा मेवासा उक्त जागीरदार ठिकाना बेदला के खातेदारी का गांव रहा है। जिसका जागीरदार स्वर्गीय सावनसिंह पिता सोहनसिंह चौहान जागीरदार खास के रूप मे दर्ज रिकार्ड रहा है। उक्त कृषि भूमि भी अन्य कृषि आराजीयात के साथ जागीरदार की निजी सम्पत्ति रही है। और जागीरदार ग्राम मेवासा जागीर का पुरा संचालन एवं लगान संग्रहण के अलावा जागीर की कृषि भूमि पर मालिकाना हक से जागीरदार द्वारा सेठ मांगीलाल वल्द इन्दरमल महाजन साकिन गंगरार अधिकृत थे। जिसकी पुष्टि मे वे अपनी ओर से प्रतिवर्ष सिजारे से जागीर वाली इन भूमियो पर काश्त करवाते थे। रेस्पोडेन्टगण

प्रतिवादीगण के पिता स्वर्गीय नारू वल्द भुरा अहीर ने जागीरदार की बकाया लगान की अदायगी करते हुए वाद पत्र मे अंकित चरण सं. 1 मे उल्लेखित साबिक बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 11,12,13,14,15,19,20 कुल किता 7 कुल रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि संवत् 2010 मे बिल एवज 1000/रू. सिक्के कलदार मे विक्रय कर दी थी और तत्कालीन लिखा पढी का बिकावनामा मिति भादवा बिद 12 संवत् 2012 दिनांक 13.09.1955 को स्वर्गीय नारू वल्द भुरा अहीर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड कर दी है। और इस आशय की अलग से एक रसीद भी उक्त विक्रय पत्र की पुष्टि मे जागीरदार ग्राम मेवासा जागीरदार ने संवत् 2014 आसोद बुद 11 को विवादित भूमि का लगान संवत् 2012 व संवत् 2013 का रेस्पोडेन्टगण के पिता स्वर्गीय नारू वल्द भुरा अहीर से वसूल कर असल लिखापढी एकनोलेजमेन्ट रसीद सौप दी है और उसी के अनुसार कृषि भूमि स्वर्गीय नारू वल्द भुरा अहीर के नाम इसी जागीर की पूर्व इन्द्राज वाली साबिक बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 90,91,92,117 कुल किता 4 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा जो बडला वाला कुंआ वाली जमीन बताई गई है। उसे इस विवादित भूमि पीपली वाले कुवे वाली भूमि के साथ जागीर समाप्ति के पश्चात् प्रथम बार जमाबन्दी मे एक साथ राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई है। विशेष कथन की कलम से (ब) मे यह निवेदन किया कि जागीर व्यवस्था के अन्तर्गत विवादित कृषि भूमि साबिक बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 11 से 15 व 19,20 कुल किता 7 कुल रकबा 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि भू–प्रबन्ध विभाग उदयपुर के आदेश क्रमांक 1497 दिनांक 14.03.1953 का इन्डोर्समेन्ट ग्राम मेवासा जागीर पर अंकित करते हुए ऊपर उल्लेखित सेठ मागीलाल महाजन को जागीर की समस्त बकाया वसूली के प्रकरण मे पुरा अधिकार सोपा गया था। और इसी अधिकार के तहत सेठ मांगीलाल महाजन ने उल्लेखित कृषि भूमि का विक्रय कर रिकार्ड की पुष्टि की है। मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने यह कथन किया कि अपीलान्टगण की कार्यवाही जिस कृषि भूमि साबिक जवाब के विशेष कथन की कलम (स) आराजीयात के सम्बन्ध मे अंकित की है उसमे उनके पिता कभी भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने से पूर्व व पश्चात् कभी भी खाातेदार दर्ज रिकार्ड नही रहे है। जागीर समाप्ति के पश्चात् जो जमाबन्दी अस्तित्व मे आई है वह संवत् 2014 से 2017 ही मौजुद है। उसमे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के पिता नारू वल्द भुरा अहीर की जागीर के वक्त कृषि भूमि व जागीरदार के प्रतिनिधि द्वारा विक्रय भी की गई भूमि का कुलिया रकबा जोडते हुए 39 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि का खाता दर्ज हुआ है। वही कृषि भूमि नवीन बन्दाबस्ती वाली जमाबन्दी रिकार्ड मे बनी हुई मौजुद है और रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण नारू पिता भुरा अहीर निवासी मेवासा के दर्ज रिकार्ड खातेदार व कब्जे काश्त मे मौजुद है। जवाबदावे मे विशेष कथन की कलम सं. द, य, र, ल, व मे भी विवादित आराजीयात के पडौस व कब्जे के सम्बन्ध मे उल्लेख किया है व यह अभिकथन किया कि अपीलान्टगण वादीगण ने वाद पत्र मे गलत अभिकथन किया है। अपीलान्टगण वादीगण भुरा वल्द रामचन्द जाट निवासी काला का खेडा गलत अंकित किया है। वादीगण अपीलान्टगण ने अपना निवास ग्राम मेवासा होना भी गलत अंकित किया है। वास्तविकता यह है कि भूरा

पिता रामचन्द जाट लाडुपुरा उर्फ लोडीखेडा तहसील गंगरार का निवासी रहा है। वर्तमान मे वादीगण अपीलान्टगण भी ग्राम लाडुपुरा उर्फ लोडीखेडा के अस्थायी निवासी होकर खातेदार लाडुपुरा उर्फ लोडीखेडा मे दर्ज रिकार्ड है। यहाँ तक कि परिवार का राशन कार्ड मतदाना सूची राजस्व रिकार्ड मे भी वादीगण अपीलान्टगण यहां के निवासी है। ऐसी स्थिति मे केवल मेवासा जागीरदार की भूमि पर सिजारी के रूप मे यदि कोई व्यक्ति संवत् 2006 मे काश्त कर भी लेता है तो उससे उसे कोई हक व अधिकार कायम नही हो सकता है। जिससे वादीगण को विवादित भूमि पर काबिज नही माना जा सकता है। अन्त मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय विशेष कथन स्वीकार किया जाकर वादपत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

दोराने वाद वादी पृथ्वीराज व वादी न. 2 सुखदेव का स्वर्गवास हो जाने से वादीगण के कायम मुकाम का प्रार्थना प्रस्तुत हुआ, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीगण के वारिसान को रिकार्ड पर लिये गये व उसी अनुसार संशोधित वादपत्र रिकार्ड पर लिया गया।

प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाबदावे के साथ विशेष कथन प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया व उसके पश्चात् अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2013 को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दावा जवाबदावा मय विशेष कथन के आधार पर तनकियात कायम की गई व प्रकरण को वास्ते साक्ष्य नियत किया गया। प्रकरण मे दिनांक 17.01.2014 को साक्ष्य वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वंय पृथ्वीराज का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। तत्पश्चात् अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण वादीगण की ओर से आदेश 7 नियम 14 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2015 को निस्तारित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अपीलान्टगण निरस्त किया गया है। तत्पश्चात् दिनांक 27.02.2015 को अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथ पत्रो पर जिरह की है। साक्ष्य प्रतिवादीगण नियत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 25.05.2015 को रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत हुए। उक्त शपथ पत्रो पर अधिवक्ता अपीलान्टगण वादीगण की ओर से जिरह की गई व तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। इसी दरमियान प्रकरण लोक अदालत कैम्प मुकाम गंगरार नियत किया गया। दिनांक 24.07.2015 को प्रकरण मे बहस अंतिम सुनी जाकर अपीलान्टगण वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र डिक्री किया गया।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2015 जो राजस्व लोक अदालत के द्वारा पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की जो इस न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. डिक्री 131/2015 दर्ज रजिस्टर की जाकर उभयपक्षो

को सुनने के पश्चात् दिनांक 06.11.2015 को निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण लोक अदालत मे निर्णित होना मानते हुए विचारण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा परित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2015 निरस्त किया जाकर पत्रावली मे अपूर्ण साक्ष्य को पूर्ण किया जाकर उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 06.11.2015 के पश्चात् अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 02.12.2015 को प्रकरण सं. 119/2015 पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। तत्पश्चात् उभय पक्षकारान की ओर से मुतफरिक प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाकर उक्त पत्रावली मे उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य रिकार्ड पर ली गई व उभय पक्षकारान की बहस दिनांक 21.05.2018 को सुनी जाकर दिनांक 29.05.2018 को अपना निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र साबित करने मे असफल होना मानते हुए, अपीलान्ट वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने की डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्धावान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण वादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है। इस न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण की ओर से दिनांक 05.06.2018 को प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई।

पत्रावली पूर्ण होने पर उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ को बहस के लिये कहा गया। जिस पर उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ द्वारा मौखिक बहस व अपील पर लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण ने मौखिक व लिखित बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपने वादपत्र को साबित करवाने के लिये दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए निरस्त किये जाने की डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 ने अपनी मौखिक व लिखित बहस मे यह निवेदन किया कि अपीलान्टगण वादीगण के पिता विवादित आराजीयात के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आने के समय खातेदार काश्तकार नही रहे है। व विवादित भूमि जागीरदार खास की भूमि होकर जागीरदार के कामदार सेठ मांगीलाल महाजन जिसे राजकीय कर्मचारी के अधिकार प्राप्त थे व उन्ही अधिकारो के तहत रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के पिता नारू पिता भुरा अहीर को संवत् 2010 को दिनांक 13.09.1955 को बिकाव कर दी। उसके पश्चात् उक्त भूमि

नारू पिता भुरा अहीर व उसकी मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की अन्य आराजीयात के साथ रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र खारीज किये जाने मे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही की है। अपीलान्टगण वादीगण ने मिथ्या तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 11 ने अपनी बहस मे विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्टगण वादीगण की अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की मौखिक व लिखित बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण वादीगण ने घोषणा इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसका रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय विशेष कथन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दावा जवाबदावा एवं विशेष कथन के आधार पर दिनांक 18.10.2013 को तनकियात कायम की जिसमे तनकी सं. 1 व 2 जिम्मे अपीलान्टगण वादीगण तनकी सं. 3 जिम्मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण नियत की गई। उक्त तनकियात पर उभयपक्ष की साक्ष्य ली गई। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के विचाराधीन रहते हुए उक्त पत्रावली को दिनांक 24.07.2015 को राजस्व लोक अदालत मे नियत की जाकर अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए अपीलान्टगण वादीगण का वादवत्र डिक्री किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो इस न्यायालय के द्वारा अपील डिक्री 131/2015 दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 06.11.2015 को निर्णय पारित करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि गवाहान से वादीगण अपीलान्टगण को प्रति परीक्षण का अवसर प्रदान कर रेस्पोडेन्ट के गवाह से वादीगण के अधिवक्ता जिरह करे। इसके उपरान्त भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो सुनवाई के पश्चात् विधि सम्मत निर्णय विधिक प्रक्रिया का अनुसरण कर प्रकरण का निर्णय पारित करे। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2015 के विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण ने राजस्व मण्ड़ल राजस्थान अजमेर मे द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे अपील क्रमांक डिक्री/टीए 7797/2015 चित्तौड़गढ़ व अपील क्रमांक डिक्री/टीए/597/2016 चित्तौड़गढ़ दर्ज रजिस्टर की जाकर दोनो अपीलो को एक साथ निर्णय दिनांक 13.12.2016 को पारित करते हुए उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले निरस्त की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

आदेश दिनांक 06.11.2015 को यथावत रखा गया। जिस पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षो की साक्ष्य पूर्ण कर पत्रावली मे अंतिम बहस समायत की जाकर दिनांक 29.05.2018 को उभयपक्षो की लिखित बहस ली जाकर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की। अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे वादपत्र मे प्लीडिंग के अनुसार 3 तनकियात कायम की गई थी। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का अलग–अलग निर्णय नही करते हुए तीनो तनकियो का एक साथ निर्णय पारित करते हुए वादपत्र साबित होना नहीं मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2015 व राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे प्रस्तुत की गई अपीलो मे पारित निर्णय दिनांक 13.12.2016 के निर्देशो के विपरीत होकर न्यायोचित प्रतीत नही होती है। जिससे अपीलान्टगण वादीगण की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलान्टगण वादीगण स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के नये प्रकरण संख्या 02/2017 राजस्व वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष की प्लीडिंग के अनुसार कायम की गई तनकियात का पुनः विश्लेषण कर आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 अनुसार तनकीवार अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ